दिनांक 2.9.21
आज पत्रावली पेश हुई है। वकील प्रार्थी
पक्ष उपस्थिति। पी.ओ. साहब निर्वाचन
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक .... को पेश हो।
8.11.21

दिनांक 8.11.21
आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब बाहर पधारे हैं
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.1.22
को पेश हो।
रीडर

18.01.22

कोविड 19 के कारण
आज पत्रावली पेश हुई। वकीलो ने कार्य स्थगित
कर रखा है। पत्रावली वास्ते बहस
दि. 23.02.22 को पेश हैं।

23.02.2022

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित आये बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03.03.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला-दौसा (राज०)

03.03.22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पलानेहडा तहसील महवा स्थित आ.ख.नं. 153, 170, 189, 205, 212, 243, 245, 1108, 1109, 1147 कुल किता 10 रकबा 5.17 हैक्टेयर सायलान व गैरसायल नं. 1 की सह-खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि का आपसी बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त हैं। लेकिन गैरसायल नं. 1 द्वारा सायलान के हिस्से, कब्जे-काश्त की भूमि में व्यवधान पैदा करने के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा

य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज ....बनाम........ मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पाबन्द करवाने हेतु निवेदन किया है। गैरसायल बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने सायलान के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। सायलान व गैर सायल नं. 1 सह-खातेदार है तथा बाहमी बंटवारे अनुसार काबिज काश्त हैं तथा सायलान राजस्व रिकार्ड में अपना विभाजन करवाना चाहते हैं तब तक गैर सायल नं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। विवादित भूमि सायलान व गैरसायल नं. की सहखातेदारी भूमि होने से राजस्व रिकार्ड में विभाजन करवाने के हकदार हैं। तथा बाहमी बंटवारे अनुसार सभी काबिज काश्त हैं।	
अतः गैर सायलान को वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पलान हेडा तहसील महवा स्थित आ. ख. नं. 153, 170, 189, 205, 212, 243, 245, 1108, 1109, 1147 कुल कित 10 रकबा 5.17 हैक्टेयर में सायलान के हिस्से व कब्जे-काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत, मदाखलत न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे और न ही रहन-बय मुन्तकिल करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो रूम शामिल मूल वाद रहे।	

अधिकारी